

कम्प्यूटर परिपत्र संख्या- 2223060

पत्र संख्या-फार्म अनुभाग-आ०घो०प०सं०-2022-23/

1160

वाणिज्य कर,

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ०प्र०।

(फार्म अनुभाग)

लखनऊ: दिनांक 13 दिसम्बर, 2022

-विज्ञप्ति-

उत्तर प्रदेश प्रवेशकर अधिनियम सपठित उत्तर प्रदेश वैट नियमावली-2008 के नियम 56 के उप नियम (12) में कमिश्नर, वाणिज्य कर को प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत में एडीशनल कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश निम्नलिखित फार्म-डी का विवरण निम्नवत प्रकाशित करती हूँ, जिसके खो जाने/चुरा लिये जाने अथवा नष्ट हो जाने के सम्बन्ध में नियम-56 के उप नियम (9) के अन्तर्गत सूचना प्राप्त हुई है, को तात्कालिक प्रभाव से अवैध घोषित करती हूँ।

क० सं०	नाम व पता	Missing फार्म की संख्या	फार्म-सी/डी/आयात घोषणा पत्रों/ओ०सी०स्टैम्प की सीरीज एवं खोने के क्रमोंक	सीरीज
1	सर्वश्री मटरूमल धन्नालाल ऑयल मिल, हाथरस।	फार्म-डी 01 अदद	फार्म-डी संख्या-04	EEPS 0722991

Qes
13.12.2022
(गीता सिंह)

एडीशनल कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

प०प०सं० व दिनांक उक्त -

प्रतिलिपि - निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

- (1) अधीक्षक मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उ०प्र० इलाहाबाद को इस आशय से प्रेषित विज्ञप्ति का प्रकाशन साप्ताहिकी साधारण गजट के आगामी अंक में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
- (2) समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर/समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्यपालक/वि०अनु०शा०) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस आशय से प्रेषित कि अपने-अपने सम्भागों से सम्बन्धित अधिकारियों को छायाप्रति प्रेषित करने का कष्ट करें।
- (3) डिप्टी कमिश्नर (उ०न्या०कार्य), इलाहाबाद/लखनऊ।
- (4) डिप्टी कमिश्नर (आई०टी०), वाणिज्यकर, मुख्यालय लखनऊ।

- (5) समस्त डिप्टी कमिश्नर (क0नि0)/असिस्टेन्ट कमिश्नर/वाणिज्य कर अधिकारी/मण्डल /उपमण्डल खण्ड, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ कि इन खोए हुए/ नष्ट हुए फार्म के संबंध में मुख्यालय के परिपत्र संख्या (विधि-2 सत्यापन) (85-86)-201/ बिक्री कर दिनांक 23-1-85 एवं परिपत्र सं0 फार्म-31 (91-92)-फार्म मुद्रण-865/ बिक्री कर दिनांक 02-11-91 के अनुसार कार्यवाही / अनुपालन / किया जाना सुनिश्चित करें।
- (6) समस्त असिस्टेन्ट कमिश्नर, वाणिज्य कर अधिकारी / स0द0, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।
- (7) मुख्यालय के समस्त अनुभाग अधिकारी ।
- (8) विधि/ मैनुअल / नई इकाई को पाँच पाँच प्रतियाँ।
- (9) सूचना केन्द्र अनुभाग मुख्यालय को 10 अतिरिक्त प्रतियाँ।
- (10) श्री मनीष शर्मा, ला एण्ड मैनेजमेन्ट हाउस, आर0-15/5 राजनगर, गाजियाबाद।
- (11) श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिकेशन, RD-51 राजनगर, गाजियाबाद।
- (12) महालेखाकार (कामर्शियल एवं रिसीट ऑडिट) यू0पी0,6 फ्लोर, केन्द्रीय भवन, सेक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ।
- (13) समस्त नोडल अधिकारी वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

(A)

ज्वाइन्ट कमिश्नर (जी०एस०टी० ऑडिट) वाणिज्य कर,
प्रभार— ज्वाइन्ट कमिश्नर (वाद), वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ।